न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 123/2012

1 कमला आयु 82 साल स्त्री स्व. बनवारी
2 देवकीनन्द आयु 52 साल पुत्र स्व. बनवारी
3 सज्जन आयु 47 साल पुत्र स्व. बनवारी
4 चन्दा आयु 62 साल स्त्री राजकुमार
5 पवन आयु 47 साल पुत्रगण राजकुमार
6 सुभाष आयु 32 साल पुत्र राजकुमार
7 चण्डीप्रसाद आयु 72 साल पुत्र बदरू
जाति ब्राह्मण निवासी पिलानी उप तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये मुख्तयार आम उतम कुमार सोनी पुत्र बाबुलाल सोनी आयु 32 साल जाति सोनी निवासी पिलानी उप तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मदनलाल आयु 72 साल पुत्र रामदेव जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 20 पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीमती दुर्गा देवी आयु 82 साल स्त्री गुगनराम (नाम हजफ दिनांक 07.05.2015)
3 ताराचन्द आयु 64 साल पुत्र गुगनराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 19 पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4 विशम्भरलाल आयु 52 साल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 20 पिलानी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 नरोतम आयु 44 साल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण
6 अणची देव आयु 84 साल स्त्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 20 पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
7 मु. गंगादेवी स्त्री
8 किशोर कुमार पुत्र स्व. वासुदेव जाति ब्राह्मण निवासी पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 नेहा पुत्री स्व. वासुदेव स्त्री विष्णु जाति ब्राह्मण निवासी चुरू तहसील व जिला चुरू राजस्थान।

10 राधेश्याम

11 गोरीशंकर पुत्रगण चिरंजीलाल

12 सावित्री स्त्री चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 20 पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

13 परिवन्द्र कुमार

14 सोमप्रकाश पुत्रगण औमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 4 पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

15 नथमल पुत्र रामकुमार

16 विश्वनाथ पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

17 महर्षी अरविन्द महाविद्यालय पिलानी जरिये सचिव रमेश कलकल पुत्र रामकरण कलकल ज़ाति जाट निवासी राजगढ़ रोड़ पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

18 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

19 सुमेर सिंह पुत्र रामेश्वरसिंह जाति गुर्जर निवासी झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधि. 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा मु. नम्बर 21/2006 उनवानी मदनलाल
वगै. बनाम चण्डीप्रसाद वगै. दावा ता निर्णय व डिक्री दिनांक
16.08.2012

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 13/5/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2006 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां एक दावा जमीन हाल खसरा नम्बर 326 रकबा 0.90 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 368 रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर सरहद मौजा पिलानी के बाबत किया और दावा में अनुतोष घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन का चाहा। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 के उक्त दावा को दिनांक 16.08.2012 को निर्णित कर बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के संदर्भ में पूर्व में पारित विभाजन की डिक्री मुकदमा नम्बर 9/2006 बउनवानी महर्षि अरविन्द बनाम चण्डीप्रसाद निर्णय दिनांक 07.11.2006 की प्रति मौजूद थी। वादीगण को भी इस डिक्री की जानकारी थी। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इस पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय भी बिना किसी विवेचन के एकसाथ कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स 1955 के विधिक प्रावधानों के विपरित प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में आदेश 20 नियम 05 सीपीसी की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर 4 तनकीयात कायम की थी। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट ने अपील में सारभूत विधिक बिन्दू आक्षेपित नहीं किए है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के संदर्भ में पूर्व में पारित विभाजन की डिक्री मुकदमा नम्बर 9/2006 बउनवानी महर्षि अरविन्द बनाम चण्डीप्रसाद निर्णय दिनांक 07.11.2006 की प्रति मौजूद थी। वादीगण को भी इस डिक्री की जानकारी थी। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इस पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय भी बिना किसी विवेचन के एकसाथ कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स 1955 के विधिक प्रावधानों के विपरित प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में आदेश 20 नियम 05 सीपीसी की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)